न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

एस0ए0आर0 वाद सं0– 04/2016–17

प्रथम पक्षः– श्री पौलुस पाहन पिता स्व0 मिखाएल पाहन
ग्राम–कदमा, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी।

–ः बनाम ः–

द्वितीय पक्षः– 1. चम्पा महतो वो 2. गुलाब महतो दोनों पिता स्व0 लक्ष्मण महतो
ग्राम–अमृतपुर, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी।

आदेश का क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
2[illegible].10.2023		

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

यह वाद आवेदक द्वारा धारा 71 'A' के तहत भूमि वापसी हेतु आवेदन दिया गया है। जिसका जमीन का विवरण निम्नलिखित हैः–

ग्राम	थाना/थाना नं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
कदमा	खूँटी/84	34	118	0.23
			119	0.20
			120	0.21
				0.64

आवेदन पत्र के आलोक में विधिवत् उभय पक्ष को नोटिस निर्गत की गयी। साथ ही इस न्यायालय के पत्रांक 109/न्या0 दिनांक 03.10.2016 के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित अंचल अधिकारी, खूँटी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी।

अंचल अधिकारी के पत्रांक 1149/24.11.2016 के अनुसार मौजा कदमा के खाता नं0 84, प्लॉट नं0 118, 119, 120 रकवा 0.23, 0.20, 0.21 एकड़ का बिन्दुवार जाँच प्रतिवेदन निम्नांकित हैः–

1. प्रश्नगत भू–खण्ड का खतियानी रैयत कौन–कौन है तथा आवेदन के साथ उसका संबंध में ? उत्तर–प्रश्नगत भू–खण्ड का खतियानी रैयत रोडे पाहन वल्द दुरगा पाहन प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के आधार पर वंशावली निम्न प्रकार हैः–

<u>वंशावली</u>

रोडे पाहन वल्द दुरगा पाहन
(खतियानी रैयत)
↓
मिखाएल उर्फ दुर्गा उर्फ मसी पाहन
↓
पौलुस पाहन (होरो)

2. प्रश्नगत भूमि का जमाबन्दी रैयत कौन है तथा जमाबंदी कायम होने का आधार

क्या है ? उत्तर– पंजी II में खाता नं0 34, रकबा 13.12½ एकड़ का जामाबन्दी दुर्गा पाहन उर्फ मसी पाहन, पिता रोडे पाहन के नाम पर दर्ज है जमाबन्दी कायम होने का आधार दर्ज नहीं है प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र में मिखाएल उर्फ दुर्गा मसी पहान दर्ज पाया गया है, जो पंजी II में दर्ज नाम से भिन्न है।

3. सरकारी रसीद कटा है या नहीं ? उत्तर– सरकारी रसीद पंजी II पृष्ट सं0 73 VOI I में दुर्गा पाहन उर्फ मसी पाहन पिता रोडे पाहन के नाम पर कटता है, लगान वर्ष 2015–16 तक वसुल है।
4. प्रश्नगत भू–खण्ड पर विपक्षी के दावे का आधार क्या है ? उत्तर– विपक्षी चम्पा महतो वो गुलाब महतो दोनों के पिता स्व0 लक्ष्मण महतो के दादा के नाम पर सिकमी खाता 57 है, सर्वे खतियान में खाता नं0 57 बुधु कुम्हार वल्द चमरू कुम्हार किस्म जमीन सिकमी दखलकार नाम लगान पाने वाला रोडे पाहन खाता नं0 34 दर्ज है, प्लॉट नं0 118, रकबा 0.23 एकड़ दर्ज जमीन दोन तीन तथा प्लॉट नं0 119, रकबा 0.08 एकड़ दर्ज जमीन मकान 1 सहन 1 एवं प्लॉट नं0 120 रकबा 0.21 एकड़ दर्ज जमीन टांड़ एक दर्ज है

<u>सिमकी खाता नं0 57 का वंशावली</u>

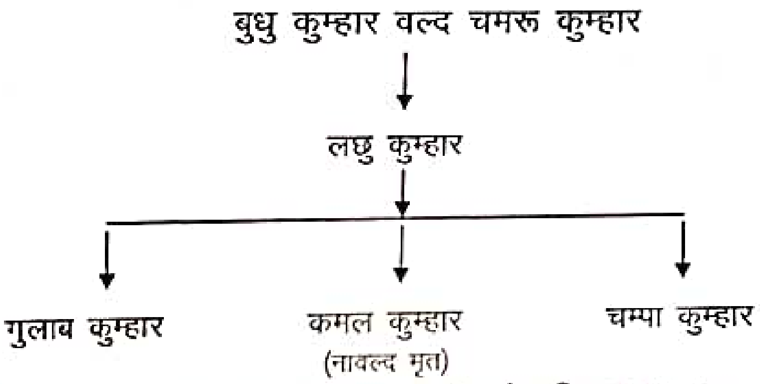

5. विपक्षी का प्रश्नगत भू–खण्ड पर किस रूप से कितनी भूमि पर तथा कब से दखल कब्जा है ? उत्तर– प्रश्नगत भू–खण्ड पर विपक्षी का मकान बारी है कुल रकबा 0.52 एकड़ है जिसपर विपक्षी एवं उनके पूर्वज का लगभग 100 वर्षों से दखल कब्जा है, प्लॉट नं0 119 में विपक्षी के पूवजों का कब्र भी स्थित है।
6. आवेदित भूमि पर विपक्षी द्वारा कोई विकास कार्य किया गया है तो उसका पूरा ब्योरा दे जैसे :–

I. मकान कब से बना है ?
– सर्वे खतियान के अनुसार मकान सहन स्थित है एवं कच्चा खपरैल मकान लगभग 25–20 वर्षो से बना हुआ है।

II. कच्चा है या पक्का है ?
– कच्चा खपरैयल मकान है

III. मकान की अनुमानित कीमत क्या है ?
– लगभग 2 लाख रूपया।

IV. मकान कितनी भू–खण्ड पर अवस्थित है एवं खाली है ?
– लगभग 12 डिसमील पर मकान सहन है शेष 35 एकड़ भूमि खाली हे एवं 0.05 एकड़ पर कब्र स्थित है।

V. जमीन पर कोई अन्य कार्य किया गया है या नहीं ?
– नहीं

VI. आवेदित भूमि आदिवासी खाते की है या नहीं तथा उसका किस्म क्या है ?
– आवेदित भूमि आदिवासी खाते की है।

VII. भूमि का वर्तमान स्वरूप क्या है ?
– वर्तमान में भूमि पर मकान सहन कब्र है।

VIII. प्रश्नगत भूमि के अन्तरण में सी० एन० टी० एक्ट (छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम) की धारा 46/48 का उल्लंघन हुआ है या नहीं ?
– भूमि का अन्तरण नहीं हुआ है।

आवेदित भूमि सर्वे खतियान में रोड़े पाहन वल्द दुरगा पाहन के नाम पर कायमी दर्ज है, तथा आवेदित भूमि पर विपक्षी के पूर्वज (दादा) बुधु कुम्हार वल्द चमरू कुम्हार शिकमी दखलकार है जो सर्वे खतियान में दर्ज है। आवेदित भूमि पर विपक्षी का शान्तिपूर्ण दखल कब्जा है।

अभिलेख के अवलोकन करने के पश्चात् विधिवत् उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस भेजा गया। न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि को उभय पक्ष अदालत में उपस्थित हुए।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया गया कि यह मामला सी०एन०टी० एक्ट 1908 की धारा 71 'A' के तहत दर्ज किया गया है। यह अधिनियम के प्रावधान का उल्लघंन है क्योंकि कार्यवाही में भूमि के हस्तांतरण में कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। विपक्षी का प्रश्नगत भूमि के संबंध में कोई किराया रसीद नहीं है और यह सी०एन०टी० के प्रावधान का उल्लंघन दर्शाता है। प्रश्नगत भूमि के म्यूटेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, पुरी तरह से मौन है। सिकमी रैयत के मृत्यु के बाद हक समाप्त हो जाता है। उसके वंशों का अधिकार नहीं रह जाता है। खतियानी रैयत को रसीद कट रहा है। खतियानी रैयत रोड़े पहान का पोता है पौलुस पहान पिता स्व० मिखाइल पहान पौलुस पिता नुवास होरो के नाम से वाद दायर किया गया था। यह विपक्षी के जवाब में अंकित है। इस संबंध में में विपक्षी के पास कोई साक्ष्य नहीं है। सिर्फ मौखिक कथन नहीं चलेगा कि आवेदक डेहकेला, थाना कर्रा के निवासी है। पौलुस पाहन या होरो पिता नुवास होरो का साक्ष्य नहीं दिया गया है। विपक्षी के जवाब में सिकमीदार है यह कहीं अंकित नहीं है। आवेदक का आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं भोटर आईडी, शपथ पत्र, वंशावली का छायाप्रति दाखिल किया है। अनुमण्डल कार्यालय, खूँटी के न्यायालय में वाद सं० 03/2015 में आवेदक पौलुस पाहन के नाम Case किया गया था जिसे अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा खारिज कर समाप्त कर दिया है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 1148 दिनांक 24.11.2016 के द्वारा प्रतिवेदन न्यायालय को उपलब्ध कराया गया। उक्त आधार पर रसीद निर्गत करने का प्रार्थना करते है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक पौलुस पाहन (होरो) पिता मिखाएल पाहन के आवेदन दिनांक 03.10.2016 द्वारा मौजा कदमा, थाना खूँटी, जिला–खूँटी, के खाता नम्बर 34, प्लॉट नम्बर 118, रकवा 0.23 एकड़, प्लॉट नम्बर 119, रकवा 0.02 एकड़, प्लॉट नम्बर 120, रकवा 0.21 एकड़ में कच्चा मकान वापसी के लिए

आवेदन दाखिल किया है एवं आवेदन के पारा (7) दावा करते है कि भूमि आवेदक के दादा रोड़े पाहन के नाम आर0एस0 खतियान में दर्ज है भूमि कायमी है। आवेदक सरकार को माल (रैंट) देता है। आवेदक का वाद पोषणीय नहीं है, आवेदक का वाद परिसीमा काल, प्रतिकुल कब्जा से बाधित है। वाद जमीन पर विपक्षी अपने पूर्वज स्व0 बुधु कुम्हार वल्द स्व0 चमरू कुम्हार आर0 एस0 नाप के पूर्व से मौजा कदमा, थाना खूँटी, जिला राँची हाल जिला खूँटी के खाता नं0 34, प्लॉट नं0 118 रकबा 0.23 एकड़, प्लॉट नं0 119, रकबा 0.08 एकड़ मकान/सहन/प्लॉट नं0 120, रकबा 0.21 एकड़ जमीन पर मकान सहन एवं कोड़कर बनाकर एवं मकान सहन पर पुरा परिवार रहते चले आ रहे है एवं स्व0 चमरू कुम्हार के मरने के बाद उनके वारिसान दखलकार चलते आ रहे है। विपक्षी के दादा स्व0 बुधु कुम्हार वल्द स्व0 चमरू कुम्हार आर0 एस0 नाप के पूर्व प्लॉट नम्बर 188, रकबा 0.23 एकड़ को कोड़कर बनाये एवं प्लॉट नं0 120 रकबा 0.21 एकड़ जमीन पर मकान सहन आंगन बनाकर पूरा परिवार के साथ दखलकार होकर मकान में रहते आ रहे है। मौजा कदमा थाना खूँटी, जिला खूँटी के रोड़े पाहन वल्द दुरगा पाहन अपने पीछे एक लकड़ा दुरगा पाहन उर्फ मसी पाहन नवाल्द मर गये। आवेदक पौलुस पाहन (होरो) पिता मिखाएल पाहन मौजा कदमा, थाना खूँटी, जिला राँची के रोड़े पाहन वल्द दुरगा पाहन का नाती नहीं है। आवेदन पौलुस होरो है एवं पिता का नाम मिखाएल होरो थे एवं दादा नुवास होरो थे जो मौजा डहकेला, थाना कर्रा, जिला खूँटी के स्थानीय निवासी थे। आवेदक पौलुस होरो के पिता मिखाएल होरो की शादी मौजा मनहातु, थाना तोरपा, जिला राँची हाल जिला खूँटी के सोमरा भेंगरा की पुत्री मारीया के साथ तोरपा चर्च में 17.01.1916 ई0 को हुआ था। तोरपा चर्च के Parish Priese Sacret Heart Church Torpa, Khunti द्वारा निर्गत सार्टिफिकेट इस लिखित बहस के साथ दाखिल करते है। मिखाएल होरो पिता नुवास होरो एवं मारीया (पुत्री सोमरा भेंगरा) से दो पुत्री एवं दो पुत्र हुए जिसका नाम (1) सलोमनी (पुत्री) (2) सामुएल होरो (पुत्र) (3) अन्ना होरो (पुत्री) (4) पौलुस होरो (पुत्र) जो उपरोक्त वाद में आवेदक है। पौलुस होरो पिता मिखाएल होरो का नाम ST. Michal's Cathedral Khunti के चर्च के जनसंख्या रजिस्टर पंजी में दर्ज है। खूँटी चर्च के पल्ली पुरोहित एवं डीन फादर बिसु बेंजामिन आईन्द द्वारा निर्गत सार्टिफिकेट इस लिखित बहस के साथ दाखिल करते है। आवेदक पौलुस होरो पिता मिखाएल होरो ए0 जी0 ओफिस, राँची द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट इस लिखित बहस के साथ दाखिल करते है। उपरोक्त कागजात से प्रमाणित होता है कि आवेदक पौलुस होरो पिता मिखाएल होरो मौजा डहकेला, थाना कर्रा, जिला राँची के नुवास होरो के पोता है। उपरोक्त कागजात से भी प्रमाणित होता है कि मौजा कदमा, थाना खूँटी के रोडे पाहन वल्द दुरगा पाहन के वारिसान नहीं है। आवेदक पौलुस होरो पिता स्व0 मिखाएल होरो ने पूर्व श्रीमान् अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी के न्यायालय में विपक्षी पीटर मुण्डू पिता स्व0 लोरेन्स मुण्डा वो चम्पा महतो वो स्व0 गुलाब महतो दोनों के पिता स्व0 लच्छु महतो (कुम्हार) के विरूद्ध दाखिल किया था एवं उभय पक्षों के तरफ से सुनवाई के बाद माननीय

अनुमण्डल दण्डाधिकारी खूँटी ने दिनांक 08.09.2016 को खारिज समाप्त कर दिये। उपरोक्त एस0 ए0 आर0 वाद सं0 4/2016–17 में भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा भवदीय पत्रांक 109/न्या0 दिनांक 03.10.2016 ई0 के द्वारा अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा मौजा कदमा, थाना खूँटी के खाता नं0 34 प्लॉट नं0 118, 119, 120 क्रमशः रकवा 0. 23, 0.20, 0.21 एकड़ का बिन्दुवार जाँच प्रतिवेदन माँग की गई थी एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के कार्यालय पत्रांक 1149 दिनांक 24.11.2016 के द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी को भेजा गया है। आवेदक के द्वारा समर्पित कारण पृच्छा/कागजातों से स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष पौलुस होरो ए0 जी0 ऑफिस राँची में काम करते थे एवं ए0 जी0 ऑफिस राँची से वर्ष 1994 ई0 में सेवानिवृत हुए तथा उन्हें पेन्सन मिलता है जिसमें उनके बाप का नाम मिखाएल होरो है एवं तोरपा चर्च के Prarish Priese Sacret Heart Church Torpa, Khunti द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट से सबुत होता है कि प्रथम पक्ष पौलुस होरो के पिता मिखाईल होरो की शादी मौजा गनहातु, थाना तोरपा, जिला राँची हाल जिला खूँटी के सोमरा भेंगरा की पुत्री मारीया के साथ तोरपा चर्च में 17.01.1916 ई0 को हुआ था एवं उक्त सर्टिफिकेट से यह भी सबुत होता है कि आवेदक पौलुस होरो के दादा नुवास होरो थे जो मौजा डहकेला थाना कर्रा जिला राँची के स्थानीय निवासी थे। उपरोक्त कागजातो से प्रमाणित होता है कि मौजा कदमा थाना खूँटी जिला राँची के खतियानी रैयत रोडे पाहन वल्द दुर्गा पाहन के वंशज नहीं है। अंचलाधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट रूप से प्रतिवेदन किया है कि आवेदित भूमि पर विपक्षी एवं उनके पूर्वज लगभग 100 वर्षो से दखल कब्जा है। प्लॉट नं 119 में विपक्षी के पूर्वजों का कब्र भी स्थित है एवं यह भी प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि के अन्तरण में सी0एन0टी0 एक्ट (छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46/48 का उल्लंघन नहीं हुआ है। आवेदक का आवेदन को खारिज किये जाने का अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के बहस को सूना एवं पाया कि वंशावली के अनुसार पौलुस पाहन जो खतियानी रैयत के वंशज होने का दावा संदेहास्पद है एवं प्रश्नगत मामला सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46 उपधारा 1 के परन्तुक 'ए' का उल्लंघन नहीं है क्योंकि विपक्षी खतियान के अनुसार सिकमी रैयत है। ऐसी स्थिति में धारा 71 'A' सी0एन0टी0 एक्ट 1908 के प्रावधान लागु नहीं होगा। आवेदक का अपील आवेदन अस्वीकृत की जाती है। आवेदक समक्ष न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित

26/10/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

26/10/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by ARVIND KUMAR OJHA
Date: 2023.12.04 12:13:47 +05:30
Location: 192.168.1.101